

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0क0र्ट0/ई-2/2019/ दिनांक -

आदेश

श्रीमती लवली मोल सी.एम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र सिरोही, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुरा माचेडी, खण्ड आमेर, जयपुर-प्रथम जिनकी जन्मतिथि 18.05.1968 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 18.01.1989 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2019 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि 31.07.2019 अकार्य दिवस मानी जावेगी।

इनके विरुद्ध आज दिवस तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16/17 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-13 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/ई-2/2019/ 1171

दिनांक:- 30/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (जीबी) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर को उनकी अशा टीप क्रमांक सीएम -जेस(जीबी)/चिस्वा/टीआर/2019/एम-25 दिनांक 30.07.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माचेडी, खण्ड आमेर।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर